प्रेस नोट दिनांक 20.11.2025

थाना धीना जनपद चन्दौली

🔷 **थाना धीना पुलिस की कार्यवाही में 06 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार।**

🔷 **सुनसान स्थान पर ट्रेन की चेन पुलिंग कर की जानी थी शराब तस्करी।**

🔷 **गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से विभिन्न ब्रांड की 70.200 लीटर अंग्रेजी देशी शराब (अनुमानित कीमत 70 हजार रुपये) बरामद।**

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे द्वारा शराब तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा स्नेहा तिवारी के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद के नेतृत्व मे थाना धीना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 20.11.2025 को बहोरा चन्देल हाल्ट से 200 मीटर सुनसान स्थान पर ट्रेन की चेन पुलिंग कर शराब तस्करी का प्रयास करने वाले 06 अंतर्राज्यीय शराब तस्करो को गिरफ्तार करते हुये तस्करों के कब्जे से कुल 70.200 लीटर अवैध अंग्रेजी व देशी शराब बरामद की गई है। जिसकी अनुमानित कीमत 70 हजार रूपये आंकी गयी है। जिनकी **पहचान क्रमशः**
1.गौतम कुमार पुत्र सुजीत चौहान निवासी नेउरा थाना नेउरा जनपद पटना बिहार उम्र 19 वर्ष 2. मुकुल चौहान पुत्र स्व0 कन्हैया चौहान निवासी नेउरा थाना नेउरा जनपद पटना बिहार उम्र करीब 36 वर्ष 3. अजय माँझी पुत्र बौआनन्द माँझी उर्फ बाबूनन्दन निवासी अर्दलीपुर नेऊरा थाना नेउरा जनपद पटना बिहार उम्र करीब 22 वर्ष 4. रवि कुमार पुत्र रामअवतार निवासी नेऊरा थाना नेउरा जनपद पटना बिहार उम्र करीब 30 वर्ष 5. श्रीओम कुमार पुत्र स्व0 रमेश सिंह पटेल निवासी मैनपुरा पोस्ट नेऊरा थाना फुलवाडी जनपद पटना बिहार उम्र करीब 22 वर्ष 6. सुमित कुमार पुत्र सुजीत चौहान निवासी नेउरा थाना नेउरा जनपद पटना बिहार उम्र करीब 19 वर्ष बताया।
गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मुं.अ.सं. 125/2025 धारा 60/63. आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर रिमाण्ड प्राप्त करने के लिये मा0न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

पूछताछ विवरणः-
गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम सभी उत्तर प्रदेश के दुकानों से शराब खरीदकर अधिक लाभ कमाने के लिये ट्रेनो मे शराब लेकर चैन पुलिंग करके अपने अन्य साथियों को शराब मे चढा लेते हैं और शराब बिहार ले जाकर ऊँचे दामो मे बेचकर अपने हिस्सो को बराबर भाग में बाट लेते है। आज दिनांक 20.11.2025 को हम लोगो द्वारा शराब लेकर बिहार जाने के लिये बहोरा चन्देल हाल्ट के पास मेमू ट्रेन के इतंजार मे खडे थे।

पंजीकृत अभियोग-
मु.अ.सं. 125/2025 धारा 60/63. आबकारी अधिनियम थाना धीना जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण-

1. 135 पाउच देशी शराब बन्टी बबली प्रत्येक की मात्रा 200 ML,
2. 116 ट्रेटा पाऊच अग्रेजी शराब 8PM प्रत्येक की मात्रा 180 ML,
3. 114 पीस आफ्टर डार्क ब्लू प्रत्येक की मात्रा 180 ML,
4. 10 पीस 8PM गोल्ड अग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML
5. कुल 70.200 लीटर जिसकी अनुमानित कीमत 70 हजार
6. 06 एनड्रायड मोबाईल

गिरफ्तारी करने वाली टीम के सदस्य-

1.उ0नि0 भूपेन्द्र कुमार निषाद थानाध्यक्ष धीना जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 खेदूराम भारती थाना धीना जनपद चन्दौली
3.उ0नि0 तेजबीर सिंह थाना धीना जनपद चन्दौली
4 हे0का0 अजीत बिन्द थाना धीना जनपद चन्दौली
5.का0 अंकित वर्मा थाना धीना जनपद चन्दौली।

थाना इलिया जनपद चंदौली

➡️ थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अलग-अलग स्थानों से पिकअप व वैन में क्रूरतापूर्वक लादकर ले जा रहे कुल 11 राशि गोवंशों को बरामद करते हुए 03 तस्करों को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे द्वारा गौ-तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व गोवंश की तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन, दिगम्बर कुशवाहा व क्षेत्राधिकारी चकिया, रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष इलिया, अरुण प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अलग-अलग स्थानों से पिकअप व वैन में क्रूरतापूर्वक लादकर ले जा रहे कुल 11 राशि गोवंशों को बरामद कर 03 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

1.दिनांक 20.11.2025 को थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर की सूचना से सूचना मिली कि एक मारूति वैन में दो व्यक्ति गोवंश लादकर शाहबगंज कि तरफ से आ रहे हैं जो कस्बा इलिया के रास्ते बिहार प्रान्त को जाने वाले हैं। उक्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस टीम द्वारा समदा पुलिया पर पर पहुंच कर शहाबगंज की तरफ से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि कुछ समय पश्चात 01 वाहन बहुत ही तेज गति से आता दिखाई दिया जिसे पुलिस टीम द्वारा दूर से रुकने का इशारा किया गया लेकिन वाहन चालक द्वारा जान बुझकर और तेज गति से चलाकर जान से मारने की नीयत से पुलिस बल के तरफ गाड़ी लेकर बढ़ा लेकिन पुलिस टीम द्वारा आपनी जान बचाते हुए इधर उधर हट बढ़ गये। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा सावधानी पूर्वक दौड़ाकर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त वाहन न0 वाहन नं0 MP09HE1644 को चेक किया गया तो वाहन में लदे 03 राशि गोवंशों को बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 85/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 व 109(1) BNS थाना इलिया जनपद चन्दौली पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.महफूज कुरैशी पुत्र असलम कुरैशी नि0 मु0 पठान टोली चैनपुर थाना चैनपुर जिला कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 24 वर्ष

2.शहनवाज अंसारी पुत्र जमालुद्दीन अंसारी निवासी ग्राम बबुरा थाना भभुआ जिला कैमूर बिहार उम्र करीब 21 वर्ष

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ का दौरान बताया कि गोवंशों को मध्य प्रदेश से लादकर मिर्जापुर के रास्ते शाहबगंज होते हुये कस्बा इलिया के रास्ते बिहार बध हेतु बेचने के लिये ले जा रहे थे

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 85/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 व 109(1) BNS थाना इलिया जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-

एक मारूती वैन नं0-MP09HE1644 से 03 राशि गोवंशीय पशु बरामद होना।

2. दिनांक 20.11.2025 को मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना इलिया पुलिस समदा नहर पुलिया पर वाहन चेकिंग कर रही थी एक टाटा योद्धा पिकअप वाहन के चालक द्वारा चेकिंग कर रही पुलिस को जान से मारने के नियत से पुलिस वाहन में टक्कर मारते हुए आगे जाकर समदा नहर पुलिया से टकरा कर रूक गया। मौजूदा पुलिस टीम द्वारा तत्परतापूर्वक पिकअप वाहन से निकल कर भाग रहे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया व उसके 02 अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पिकअप वाहन की तलाशी में पिकअप वाहन से 08 राशि गोवंशीय पशुओ बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान रईस खान पुत्र मुन्ना खान ग्राम जगुआ सोन्धा थाना हडिया जनपद प्रयागराज उम्र करीब 42 वर्ष के रूप में हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 86/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 व 109(1) BNS थाना इलिया जनपद चन्दौली पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

पूछताछ अभियुक्त-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ का दौरान बताया कि गोवंशों को मध्य प्रदेश से लादकर मिर्जापुर के रास्ते शाहबगंज होते हुये कस्बा इलिया के रास्ते बिहार बध हेतु बेचने के लिये ले जा रहे थे

बरामदगी का स्थान व समय-

समदा नहर पुलिया बाफासला 0.600 किमी0 पश्चिम दिनांक 20.11.2025 समय 10.05 बजे।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

1.मु0अ0सं0 86/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 व 109(1) BNS थाना इलिया जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0 03/2019 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना इलिया जनपद चन्दौली

3.मु0अ0सं0 48/2019 धारा 174ए भादवि थाना इलिया जनपद चन्दौली

4.मु0अ0सं0 145/2021 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना इलिया जनपद चन्दौली

5.मु0अ0सं0 146/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इलिया जनपद चन्दौली

6.मु0अ0सं0 10/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गोपीगंज जनपद भदोही

7.मु0अ0सं0 252/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 व 109(1) BNS व 4/5 विस्फोटक अधिनियम थाना हंडिया जनपद प्रयागराज
8.मु0अ0सं0 130/2022 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना मेजा जनपद प्रयागराज

विवरण बरामदगी-
एक योद्धा पीकप बिना नम्बर प्लेट से 08 राशि गोवंशीय पशु बरामद होना।

गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम-
1.थानाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।
2.उ0नि0 उमाकान्त यादव थाना इलिया जनपद चन्दौली।
3.उ0नि0 अमित कुमार मिश्रा थाना चकिया जनपद चन्दौली
4.हे0का0 कल्लन यादव थाना इलिया जनपद चन्दौली
5.का0 दुर्गविजय वर्मा थाना इलिया जनपद चन्दौली
6.का0 महेश यादव थाना इलिया जनपद चन्दौली
7.का0 रामसूरत चौहान थाना इलिया जनपद चन्दौली
8.का0 पंकज यादव थाना इलिया जनपद चन्दौली
9.का0 प्रभात यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली